"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 नवम्बर 2010—कार्तिक 12, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2010

अधिसूचना

क्र. 12082/2827/21-ब/छ. ग./2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसियेशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दि. 28-4-2009 के अनुसार तथा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन के आधार पर गठित एक सदस्यीय न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन (सेवानिवृत्त) आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दि. 17-7-2009 की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि. 4-5-2010 तथा दि. 26-7-2009 एवं दिनांक 2-8-2010 के अनुपालन में, न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने हेतु "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा वेतन पुनरीक्षण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियम, 2003" (अधिसूचना क्रमांक 1069/21-ब/छ. ग./2008 दिनांक 13-3-2009 तथा अधिसूचना क्रमांक 5653/डी-1264/21-ब/छ. ग./2010 दिनांक 2-6-2010 द्वारा यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

(1) नियम 11क के उपनियम (1) में, शब्द एवं अंक "1 जनवरी 1996" तथा "1 जुलाई 1996" के स्थान पर शब्द एवं अंक "1 जनवरी 2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) नियम 11-क के उपनियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—
"(दो) पूर्ण पेंशन अर्जित करने के लिये अर्हताकारी सेवा दि. 2-9-2008 से 20 वर्ष होगी."

(3) नियम 11-क के उपनियम (1) के खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(तीन) "सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित पद में अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत होगा तथा महंगाई राहत की दर वही होगी जिस दर पर सेवारत न्यायिक अधिकारियों को महंगाई भत्ता देय है."

(4) नियम 11-क के उपनियम (1) के खण्ड (सात) में शब्द "संदत्त किये जायेंगे,".के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाय.

"परन्तु मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा, दिनांक 1 जनवरी 2006 से रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख) होगी."

(5) नियम 11-क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियभ को प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

11-क (2)- पूर्व पेंशनरों के लिये पेंशन संरचना—

वे न्यायिक अधिकारी जो 1 जनवरी 2006 के पूर्व मृत्यु या सेवानिवृत्ति के कारण सेवा में नहीं रहे हो, 1 जनवरी 2006 से, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये सन्नियमों (नार्म्स) पर पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त करेंगे—

(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो अनुसूची 2 (दो) और 3 (तीन) के अनुसार होगा.

परन्तु पेंशन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के समय विद्यमान पेन्शन का निम्नानुसार पहले समेकन किया जायेगा—

(I) दिनांक 1-1-2006 के विद्यमान पेन्शन

(II) दिनांक 1-1-2006 को महंगाई पेन्शन

(III) दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान मूल पेन्शन और महंगाई पेन्शन विद्यमान दर से महंगाई राहत.

(2) पुनरीक्षित पेन्शन, कंडिका (1) उल्लेखित अनुसार पुनरीक्षण वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समेकित पेन्शन, ज़ो भी अधिक हो होगा.

(3) विद्यमान वेतनमान तथा पुनरीक्षित वेतनमान अनुसूची 2 एवं 3 के अनुसार होगा, जो निम्नानुसार है—

अनुसूची-2

क्र. (1)	पदनाम (2)	विद्यमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)
1.	कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 प्रवेश स्तर)	9000-250-10750-300-13150-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
2.	कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	10750-300-13150-350-14900	33090-920-40450-1080-45850
3.	कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (द्वितीय स्टेज ए.सी.पी. स्केल, यदि वरिष्ठ सिविल जज के रूप में पदोन्नत न हो)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
4.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
5.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (चयन श्रेणी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
7.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (द्वितीय स्टेज ए.सी.पी. स्केल, यदि उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश की श्रेणी में पदोन्नत न हो)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070

अनुसूची-3

क्र. (1)	पदनाम (2)	विद्यमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)
1.	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070
2.	जिला न्यायाधीश (चयन स्तर)	18750-400-19150-450-21850-500-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290
3.	जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान)	22850-500-24850	70290-1540-76450

(4) पेन्शन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी.

(5) महंगाई राहत की दर वही होगी जिस दर पर सेवारत न्यायिक अधिकारियों को महंगाई भत्ता देय है.

(6) परिवार पेन्शन का भी पुनरीक्षण किया जायेगा, जो पेन्शनर के सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का न्यूनतम 30 प्रतिशत होगा.

(7) पेन्शन का पुनरीक्षण दिनांक 1-1-2006 से प्रभावशील होगा और उन न्यायिक अधिकारियों के लिये लागू होगा, जो दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है.

(6) नियम 11-क के उपनियम (3) के पश्चात् नियम 11-ख के रूप में निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाय, अर्थात्—
11-ख— सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों/फैमिली पेन्शनर को अतिरिक्त पेन्शन का भुगतान निम्नलिखित सारणी के अनुसार किया जायेगा—

पेन्शनर/फैमिली पेन्शनर का उम्र	अतिरिक्त पेंशन की मात्रा
80 वर्ष से 85 वर्ष तक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष तक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष तक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष तक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या अधिक तक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/फैमिली पेंशन का 100 प्रतिशत

Raipur, the 3rd November 2010

NOTIFICATION

No. 12082/2827/21-B/C. G./2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, and in complience of orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in W. P. (C) No. 1022/1989 All India Judges Association and others Vs Union of India and others, on 28-04-2009 and thereby constituted one man commission headed by Mr. Justice E. Padmanabhan (Rtd.). to revise the pay scales and allowances of judicial officers of India as per recommendation of First National Judicial Pay Commission (Shetty Pay Commission) and accepting the recommendations of aforesaid one man commission submitted on 17-07-2009 Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 04-05-2010, 26-07-2009 and 2-8-2010 directed all the State Governments to issue necessary orders to implement the aforesaid E. Padmanabhan Commission report relating to retired Judicial Officers. Accordingly to implement the recommendation of report of E. Padmanabhan Commission and in compliance of Hon'ble Supreme Court's aforesaid orders, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in "The Chhattisgarh Judicial Service Pay Revision, Pension and Other Retirement Benefits Rules, 2003". (as amended by notification No. 1069/21-B/C. G./2008 dated 13-3-2009 and notification No. 5653/D 1264/21-B/C.G./2008 dated 2-6-2010). namely :—

AMENDMENT

In the said rules.—

(1) In sub-rule (1) of Rule 11 (A), for the words and figures "1st January, 1996" and "1st July, 1996" the words and figures "1st January, 2006" shall be substituted.

(2) In clause (2) of sub-rule (1) of Rule 11 (A), the following clause shall be substituted, namely :—
"(Two) Qualifying service for earning full pension shall be twenty years with effect from 02-09-2008."

(3) In clause (3) of sub-rule (1) of Rule 11 (A), the following clause shall be substituted, namely :—
"(Three) The revised pension of the retired judicial officers shall be 50% of the last pay drawn of the post held by the judicial officers at the time of retirement and the dearness allowance shall be at the same rate, as are admissible to serving judicial officers."

(4) In sub-clause (7) of sub-rule (1) of Rule 11, after the word "as per State Rules" the following proviso shall be inserted,—
"but ceiling limit of death-cum-retirement gratuity shall be Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten Lacs) with effect from 1st January, 2006."

(5) In sub-rule (2) of Rule 11 (A), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
11 (A) 2 - Pension structure for the past pensioners—
The Judicial Officers, Who have ceased to be in service due to death or retirement prior to 1st January 2006, shall get the following pension/family pension on the normes, as specified below with effect from 1st January 2006, namely—

1. The revised pension of the retired Judicial Officers should be 50% of the minimum pay of the revised pay scale of the post held by him at the time of the retirement, which shall be as Schedule 2 and 3:

Provided that at the time of revision and re-fixation, the existing pension shall be consolidated first as follows :—
(i) Existing Pension as on 1-1-2006,
(ii) Dearness Pension as on 1-1-2006,
(iii) Dearness Relief at prevalent rate on both the existing Basic Pension and Dearness Pension as on 1-1-2006.

2. The revised pension shall be fixed at minimum 50% of the revised pay as mentioned in para (1) or consolidated pension as calculated above, whichever is higher.

3. Existing scale of pay and revised scale of pay will be as per Schedule 2 and 3, which is as follows :—

SCHEDULE-2

S. No. (1)	Name of Post (2)	Existing Pay Scale (3)	Revised Pay Scale (4)
1.	Civil Judge (Junior Division) Civil Judge Class-II (Entry Level)	9000-250-10750-300-13150-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
2.	Civil Judge (Junior Division) First Stage of A.C.P. Scale	10750-300-13150-350-14900	33090-920-40450-1080-45850
3.	Civil Judge (Junior Division) Second Stage of A.C.P. Scale if not promoted as Senior Civil Judge.	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
4.	Senior Civil Judge (Civil Judge Class-I)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
5.	Senior Civil Judge (First Stage of A.C.P. Scale)	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
6.	Senior Civil Judge (Selection Grade) C.J.M/A.C.J.M.	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
7.	Senior Civil Judge (Selection Scale) Second stage of A.C.P. scale if not promoted to the Cadre of District Judge in H.J.S.	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070

SCHEDULE-3

S. No. (1)	Name of Post (2)	Existing Pay Scale (3)	Revised Pay Scale (4)
1.	District Judge (Entry Level)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070
2.	District Judge (Selection Grade)	18750-400-19150-450-21850-500-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290
3.	District Judge (Super Time Scale)	22850-500-24850	70290-1540-76450

4. There should not be any ceiling limit on the pension.

5. The Dearness Relief shall be at the rates as are applicable to the serving Judicial Officers.

6. The Family Pensions shall be revised and re-fixed at minimum 30% of the pay of the pay scale of the post held by the Pensioner at the time of retirement in the revised pay scales.

7. The revision in pension shall come into effect from 1-1-2006 and will be applicable to the Judicial Officers who have retired or died prior to 1-1-2006.

8. After sub-rule (3) of Rule 11 (a), the following rule shall be inserted as rule 11 (B)—

11(B)— The retired Judicial Officers/Family Pensioner are entitled for payment of additional quantum of pension/family pension according to chart produced hereinbelow—

Age of Pensioner/Family Pensioner	Additional quantum of pension
From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension/family pension
From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic pension/family pension
From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic pension/family pension
100 years or more	100% of revised basic pension/family pension.

This sanction has been accorded by the Finance Department vide U.O. No. 361/31611/Finance Department/B-3/2010 dated 21-10-2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.